बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 01/14–15

1. परिचयात्मक :–

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	अंचल कार्यालय, सदर, गया।
(ख)	अंकेक्षण का लेखावधि –	वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा कार्यकाल–	जिला पदाधिकारी, गया।
(ड़)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम एवं कार्यकाल :–	(i) श्री दिनेश कुमार, अंचलाधिकारी, (वि0प्र0से0) दि0–03.03.2009 से 03.04.2010 तक (ii) श्री शैलेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी दि0–04.04.2010 से अद्यतन (iii) श्री बसन्त पासवान प्रधान सहायक 2006 से 30.7.2011 तक (iv) श्री विनय कुमार प्रधान सहायक दि0–31.07.2011 से अद्यतन। (v) श्री बोनी फास एक्का, अंचल नाजिर दि0–18.12.2009 से 4.9.12 तक (vi) श्री रंजय कुमार अंचल नाजिर दि0– 05.09.2012 से अद्यतन।
(च)	अंकक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/ कर्मचारी का नाम, पदनाम–	(i) श्री शैलेन्द्र कुमार अंचलाधिकारी। (ii) श्री रंजय कुमार अंचल नाजिर।

(छ)	वरीय अंकेक्षकों के नाम –	1. श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, व0अं0–2 (2) श्री राम नारायण सिंह, व0अं0–2
(ज)	अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि –	दिनांक–11.09.2013
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति तिथि –	12.03.2014
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस–	40 कार्य दिवस
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) <u>अंकेक्षण का क्षेत्र</u> :–

(i) अंचल कार्यालय, सदर गया के लेखा का सामान्य अंकेक्षण विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक–15.09.60 में निहित निर्देशों के अनुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।

(ii) कार्यालय का कार्य क्षेत्र – अंचल कार्यालय सदर गया के अन्तर्गत कुल 08 हल्कों द्वारा भू–लगान राजस्व की वसूली एवं बन्दोवस्ती कार्य का संचालन होता है। अन्य सरकारी योजनाओं के कार्यान्यवन एवं भू राजस्व से लगान के रूप में प्राप्त राशि सैरात बन्दोबस्ती इत्यादि तक ही सीमित रहा।

(iii) वित्तीय स्त्रोत – इस कार्यालय को सरकार द्वारा आवंटन द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावे अंचलाधीन हल्कों से प्राप्त भू–लगान एवं शिक्षा सेस, स्वास्थ्य सेस, रोड सेस कृषि सेस आदि मदों मे राजस्व की प्राप्ति होती है।

(iv) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :– वर्ष 10–11 एवं 11–12 में अंचल कार्यालय सदर गया द्वारा जमा एवं निकासी की गई राशियों का कोषागार सत्यापन जिला कोषागार गया के अभिलेखों से शत् प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

(v) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन :– महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की मांग की गई, परन्तु इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे इसकी समीक्षा नहीं की गई। साथ ही वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं इससे सम्वन्धित अनुपालन की मॉग की गई, लेंकिन उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे समीक्षा नहीं की गई।

3. **वित्तीय समीक्षा :–**

(i) इस कार्यालय को अंकेक्षणाधीन अवधि में शीर्ष 2029 भू–राजस्व, शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस, शीष 2245 साहाय्य तथा शीर्ष 4047 महादलित बासरहित परिवारों को रैयती भूमि क्रय हेतु के अलावे कार्यालय व्यय, वाहन ईधन एवं रखरखाव, वर्दी एवं पोषाक और यात्रा भत्ता मद में आवंटन प्राप्त था। उक्त आवंटन के विरूद्ध राशि की निकासी कोषागार से अधिक नहीं की गई थी। सम्पूर्ण विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित है। आवंटन के विरूद्ध बचत राशि का प्रत्यार्पण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था। जिस कारण प्रत्यार्पण की स्थिति की जानकारी अंकेक्षण को नहीं हो सकी। कार्यालय व्यय, वाहन ईधन एवं रखाव, वर्दी एवं पोशाक तथा यात्रा भत्ता मद में व्ययो से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। आपत्ति भी निर्गत की गई थी, परन्तु उसका अनुपालन भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः उच्चाधिकारियों का व्यान प्रत्यार्पण की वास्तविकता की जॉच अपने स्तर से कराते हुए तथा कार्यालय व्यय, वाहन ईधन एवं रख रखाव, वर्दी एवं पोषाक तथा यात्रा भत्ता मद में हुए व्ययों की औचित्ता की जाँच अपने स्तर से कराते हुए वस्तु स्थिति की जानकारी वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(ii) इसके अलावे अंकेक्षणाधीन अवधि में इस कार्यालय को निर्धारित भू–राजस्व इत्यादि से सम्बन्धित मॉग एवं वसूली से सम्बन्धित विवरणी परिशिष्ट ''ग'' पर अंकित है। उक्त विवरण से ज्ञात होगा कि अंकेक्षणाधीन अवधि मे निर्धारित मॉग के अनुरूप वर्ष 10–11 में भू–लगान की राशि की प्राप्ति 50% प्रतिशत ही वसूल किया गया, जो सम्बन्धित अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों के उदासीनता का घोतक है। साथ ही वर्ष 10–11 में राजस्व वसूली के उपरान्त बकाया वर्ष में भू–राजस्व की राशि को अगले वित्तीय वर्ष 11–12 में वास्तविक राशि नहीं दर्शाकर अधिक राशि दर्शायी गयी थी, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का घोतक है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान कम राजस्व की वसूली में जिसे एवं अधिक बकाया राशि दिखाने हेतु उत्तरदायी पदा0/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है। संलग्न विवरणी के आधार पर वर्षवार मॉग संग्रहण एवं जमा से सम्बन्धित प्रतिशत का पूर्ण विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	कुल मॉग	कुल संग्रहण	प्रतिशत
10—11	17,82,587.20	9,01,523.60	50%
11—12	24,86,730.65	24,37744.35	99%

3. रोकड़ पंजी में संवरण शेष की राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :—

विभागीय ज्ञापांक 503 दि0 29.01.76 के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन रोकड़ पंजी में संवरण शेष की राशि का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 11.09.2013 को बार—बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी नहीं कराया गया। उक्त तिथि को रोकड़ पुस्त में संवरण शेष की राशि रू0 40,04,894.19 अंकित था।

4. सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष एवं प्रारंम्भण रोकड़ की स्थिति :—

दि0 1.4.10 को प्रारंम्भण रोकड़ 24,25,772.54 था। दि0 31.3.11 की संवरण शेष की राशि 30,61,624.39 की स्थिति :—

(1) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चन्दौती गया के बचत खाता संख्या 3850002100022144 में — 3,99,154.02

(2) एस0 बी0 आई0 शाखा ए0 पी0 कॉलोनी गया के बचत खाता सं0 —10380941110 — 11,37,008.10

(3) एस0 बी0 आई मेन ब्रान्च गया के बचत खाता सं0 —11159900963 — 4,02,803.01

(4) इंदिरा आवास अग्रिम— 14,536.00

(5) सामान्य अग्रिम की राशि — 95,720.00

(6) कैश इन भाउचर — 9,61,641.20

(अपारित अभिश्रव)

(7) कैश इन सिंगल लॉक — 50762.06

30,61,624.39

परन्तु कंडिका 29 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक–19.2.11 को रू0 2,37,085.50 पै0 कोषागार में जमा किया गया था। परन्तु शीर्ष 2029 के रो0 पु0 एवं समान्य रो0 पु0 के व्यय पक्ष में अंकित नहीं था। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक संवरण शेष रू0 30,61,624.39–2,37,085.50 पै0=28,24,538.89 था

परन्तु भौतिक सत्यापन मे संवरण शेष रू0 30,61,624.39 के आधार पर किया गया एवं सही करा दिया गया।

अतः स्पष्ट है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन दिखाकर रो0 पु0 में अंकित किया गया था अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

दि0 31.03.12 का संवरण शेष रू0 30,52,371.09 की स्थिति :–

(1) एस0 बी0 आई मेन ब्रॉन्च गया के बचत खाता सं0–11159900963 – 10,46,130.61

(2) एस0 बी0 आई0 ए0पी0 कॉलोनी

जमा के बचत खाता सं0 – 10380941110 – 4,15,202.75

(3) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चन्दौती गया के बचत खाता सं0–3850002100022144 में – 3,97,693.02 (सूद सहित)

(4) इन्दिरा आवास अग्रिम – 14,536.43

(5) सामान्य अग्रिम – 92,720.00

(6) कैश इन भाउचर – 10,09,135.97

(7) कैश इन सिंगल लॉक – 76952.31

30,52,371.09

उक्त विवरण में इंदिरा आवास अग्रिम मद में पूर्व से अग्रिम की राशि 14536.00 चली आ रही थी। जिसके समायोजन हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अंकेक्षण अवधि के पूर्व से चली आ रही सामान्य अग्रिम रूप में कुल रू0 92720.00 असमायोजित रूप में दि0–31.03.12 तक पड़ी हुई थी, अग्रिम पंजी अंकेक्षण में अनुपलब्ध रहने के कारण पूर्ण जानकारी अंकेक्षण को प्राप्त नहीं हो सका।

अतः असमायोजित अग्रिम की राशि के समायोजन हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान समायोजन की कार्रवाई अपने स्तर से कराते हुए इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

असमंजित अभिश्रव दि0–31.03.12 को कुल रू0 10,09,135.97 का पूर्ण विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका–20 में उल्लेख की गई है। इसके समायोजन हेतु भी प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

4. अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

परिशिष्ट "घ" पर अंकित है।

भाग –II

(5) कंडिका – भू–लगान मद में वसूल की गई राशि रू0 8539.20 गबन।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लगान रसीद पुर्द मिल्कियत से 3 ए0 पंजी के मिलान, जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि कतिपय रसीद के माध्यम से रैयतों से भू–लगान की राशि वसूल की गई। परन्तु वसूल की गई राशि की प्रविष्टि रोकड़ पुस्त एवं 3 ए0 पंजी में नहीं पायी गई। न तो अंचल नजारत एवं कोषागार में जमा की गयी थी। इस सम्वन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक नहीं किया गया था। वसूली राशि की विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	वित्तीय वर्ष	हल्का सं0	रसीद सं0 एवं तिथि	रैयत का नाम एवं पता	लगान के रूप में वसूली गई राशि जिसकी प्रविष्टि रो0पु0 एवं 3ए0 पंजी में नहीं पायी गई।
1.	2010–11	4	427781 21.3.11	सुदर्शन यादव पिता राम औतार यादव वो	3,338.80

				खौरी यादव पिता सीतापन यादव।	
2.	,, ,,	4	427780 20.3.11	काली राम पिता नपुनी राम	526.35
3.	2011–12	4	246365 31.3.12	बसन्त महतो वो रविन्द्र महतो पिता रामेश्वर महतो ग्राम कन्डी नवादा।	486.00
4.	,, ,,	4	246366 31.3.12	केशो यादव पिता चितवन यादव	313.05
5.	,, ,,	शहरी गया	435615 31.1.12	रितु कुमारी ग्राम सखूरा	539.00 5,203.20
6.	,, ,,	3	—	—	3336.00

अतः लगान की वसूली गयी राशि रू0 8,539.20 कार्यालय में जमा नहीं की जाने के कारण राशि का गठन कर लिया गया।

जिसके लिये सम्वन्धित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित विधि सम्मत कारवाई की जाय तथा इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका–6 सेवा निवृति के पश्चात बाद की अवधि का अनियमित नियमित वेतन भुगतान राशि 24,509.00

वसूली योग्य :– शीर्ष 2055 (ग्रामीण पुलिस) वेतन भुगतान पंजी में भुगतीत वेतन की जॉच में पाया गया कि अंचल कार्यालय, सदर गया में पदस्थापित चौकीदार श्री इन्द्रदेव यादव की सेवा निवृति तिथि 31.05.10 था, परन्तु इनके सेवा निवृति तिथि के बाद इनको माह जून 2010 और जुलाई 2010 का वेतन विपत्र सं0 54/10–11 से राशि की निकासी कर दि0 18.12.10 को कुल रू0 24509.00 का कुल कटौति 1050.00 के बाद 23479.00 का भुगतान किया गया था। सेवानिवृति के पश्चात कर्मियों को रखना एवं वेतन भुगतान करना गम्भीर अनियमितता है। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक अनुपलब्ध रहा। विवरण निम्नवत् है :–

भुगतान पाने वाले कर्मी का नाम एवं पदनाम	भुगतान किये गये माहों का नाम	भू0 वे0	मं0 भ0	मकान भाड़ा भत्ता	चि0भ0	कुल योग
श्री इन्द्रदेव यादव चौकीदार	जून 2010	8190.00	2867.00	819.00	200.00	12,076.00
,,	जुलाई 2010	8436.00	2953.00	844.00	200.00	12433.00
						24509.00

कटौतियों भविष्य निधि	ग्रूप बीमा	शुद्ध भुगतान की गई राशि
500.00	15.00	11561.00
500.00	15.00	11918.00
1000.00	30.00	23479.00

इस प्रकार श्री यादव को कुल दो माहों का अनाधिकृत रूप से रखकर भुगतान 24509 का अनियमित भुगतान किया गया था। श्री यादव को बिना सरकारी आदेश के सभी सुविधाओं के साथ भुगतान किये जाने का कोई औचित्य नहीं था।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस अनियमित भुगतान की ओर आकृष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित कर्मी से दो माहों के भुगतान की कुल राशि रू0 24509.00 की वसूली कर कोषागार में जमा कर इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

कंडिका–7 मकान भाड़ा भत्ता मद में अधिक भुगतान रू0 7,198.00 वसूली योग्य।

(क) रू0 7048.00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2029 वर्ष 10–11 के वेतन भुगतान पंजी में भुगतीत वेतन की जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय सदर गया में पदस्थापित अंचलाधिकारी श्री शैलेश कुमार को मकान भाड़ा भत्ता मद में कुल 6 माहों के लिये यानि अप्रैल 10 से सितम्बर 10 तक के लिये 20% की दर से भुगतान किया गया था। जबकि गया शहर के लिये मकान भाड़ा भत्ता

मद में 10% प्रतिशत की दर से ही भुगतान करना था। श्री कुमार का योगदान दिनांक–4.4.2010 को अंचल कार्यालय, सदर गया में किया गया था। अतः बिहार मकान भाड़ा भत्ता नियमावली के अनुसार उनको कुल दो माहों का ही पटना के दर 20% प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करना था। शेष चार माहों का भुगतान गया शहर के लिये अनुमान्य 10% की दर से भुगतान होना चाहिये था। लेकिन ऐसा न कर कुल छ माहों के लिये 20% प्रतिशत की दर से भुगतान कर दिया गया था। श्री कुमार का मूल वेतन+ग्रेड पें 17620.00 रू0 था।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया। अधिक भुगतीत राशि की विवरणी इस प्रतिवेदन से परिशिष्ट सं0 ''ड़'' पर अंकित है।

(ख) रू0 144.00 वसूली योग्य :–

पुनः अंचल कार्यालय सदर गया में पदस्थापित श्री महेन्द्र प्रसाद लाल राजस्व कर्मचारी को मकान भाड़ा भत्ता मद में जुलाई 11 से अक्टूबर 11 तक की अवधि कुल चार माहों का भुगतान 10% प्रतिशत की दर से करना था लेकिन गणना भूल के कारण श्री लाल को प्रतिमाह 36 रू0 अधिक का भुगतान किया गया। श्री लाल का मूल वेतन 13280.00+ग्रेड पें 4200.00=17480.00 था जिस पर 10% प्रतिशत की दर से गणना करने पर 1748.00 रू0 होता है। गणना भूल के कारण कार्यालय द्वारा 10% प्रतिशत के दर से 1784.00 रू0 के दर से प्रतिमाह इस मद में भुगतान किया गया था। इस प्रकार 1784.00–1748.00=36.000 रू0 का अधिक भुगतान प्रतिमाह की दर से कुल चार माहों के लिये 36X4=144.00 रू0 अधिक भुगतान किया गया था। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया था। विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ड़'' पर अंकित है।

(ग) रू0 6.00 वसूली येाग्य –

अंचल कार्यालय गया में पदस्थापित श्रीमति आशा देवी अनुसेवी को माह मार्च 11 एवं अप्रैल 11 का मकान भाड़ा भत्ता मद में अधिक राशि का भुगतान किया गया था। श्री मति आशा देवी का मूल वेतन 7850.00+ग्रेड पें0 1900.00=9750.00 रू0 था। जिस पर 10% प्रतिशत गया शहर के लिये मकान भाड़ा देय दर से भुगतान योग्य राशि 975.00 के स्थान पर रू0 978.00 रू0 भुगतान गया। इस प्रकार 978.00–975.00=3.00 रू0 प्रति माह की दर से कुल दो माहों का 3.00X2=6.00 अधिक भुगतान किया गया, जो

वसूली योग्य है। इस संदर्भ में आपत्ति भी निर्गत किया गया, परन्तु आपत्ति का निराकरण अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

अतः दोषी व्यक्ति से अधिक भुगतान की गई राशि रू0 6.00 की वसूली कर कोषागार में जमा किया जाय, तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय।

वसूली योग्य राशि निम्नवत् है :–

(क) श्री शैलेन्द्र कुमार अंचलाधिकारी सदर गया को प्रतिमाह 1762.00 की दर से चार माहों का 1762.4=7048.00 अधिक भुगतान की राशि है।

(ख) श्री महेन्द्र लाल राजस्व कर्मचारी अंचल सदर गया को 36.00 रू0 प्रतिमाह की दर से चार माहों का 36X4=144.00 रू0 अधिक भुगतान योग्य राशि होता है।

(ग) श्रीमति आशा देवी अनुसेवी को 3.00 प्रतिमाह की दर से कुल दो माहों के लिये 3.00X2=6.00 रू0 अधिक भुगतान की गई राशि है।

कुल वसूली योग्य राशि – क+ख+ग 7048.00+144.00+6.00=7198.00 रू0 होता है।

कंडिका–8– यौगिक भूल के कारण लगान की वसूली राशि से रू0 189.51 कम जमा वसूली योग्य :–

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के 3 ए0 पंजी के योग की जॉच में पाया गया कि कतिपय हल्कों के 3 ए0 पंजी में यौगिक मूल के कारण लगान की कुल वसूली राशि से कम अंकित किया पाया गया।

3 ए0 पंजी का पृष्टवार कम जमा राशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	वित्तीय वर्ष	हल्का सं0	3ए0 पंजी का पृष्ट सं0 एवं माह	लगान वसूली राशि का शुद्ध योग	3ए0 पंजी में प्रविष्ट राशि	अन्तर राशि
1.	10–11	8	69	82,994.20	82,956.50	37.70
2.	,,	6	45	889.32	879.51	9.81
3.	,,	5	32	35,053.20	34,943.20	110.00
4.	,,	,,	39	2806.80	2804.80	2.00

5.	,,	,,	49	7935.00	7925.00	10.00
6.	,,	,,	57	29285.20	29265.20	20.00
				1,58,963.72	1,58,774.21	189.51

उक्त अन्तर की राशि रू0 189.51 की वसूली हेतु आपति निर्गत की गई थी। जिसका अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया। अतः सम्वन्धित दोषी हल्का कर्मचारियों से अन्तर की राशि रू0 189.51 वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय तथा इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0–9 मॅगहाई भत्ता मद में अधिक भुगतान रू0 1750.00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2055 (ग्प्रमीण पुलिस) के में वेतन भुगतान पंजी में भुगतीत वेतन की जॉच में पाया गया कि अंचल कार्यालय सदर गया में पदस्थापित श्री शंभु कुमार चौकीदार एवं लीला देवी चौकीदार के माह मार्च 10 और अप्रैल 10 के वेतन दिनांक 7.6.2010 को भुगतान किया गया था। जीवनयापन भत्ता मद की गणना 35% प्रतिशत की दर से किया गया था। उक्त दोनों कर्मीयों का मूल वेतन 6830/– रू0 था। मू0 वे0 6830/– रू0 पर 35% प्रतिशत की दर से गणना करने पर रू0 2391.00 ही प्रतिमाह भुगतान योग्य राशि के जगह पर 2791.00 (गणनभूल के कारण) का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार 2791.00–2391=400 रू0 प्रति कर्मी को प्रतिमाह के दर से उपर्युक्त के माहों में दो कर्मियों का कुल रू0 1600.00 अधिक भुगतान किया गया था।

उसी प्रकार अंचल कार्यालय सदर गया में पदस्थापित उच्च वर्गीय लिपिक श्री हेमन्त कुमार को माह जनवरी 10 से मार्च 10 तक कुल तीन माहों का वेतन विपत्र सं0 41/10–11 से निकासी कर दिनांक 20.01.2011 को किया गया था। श्री कुमार का मूल वेतन 16470.00 रू0 था। जिस पर 8% प्रतिशत की दर से मॅहगाई भत्ता 1318 के स्थान पर गणन भूल के कारण 1368.00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार 1368.00–1318.00=50.00 रू0 प्रति माह की दर से तीन माहों का 50X3=150 रू0 का अधिक भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया था। निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया था। विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' पर अंकित है।

अतः विवरणी में दिखाई गई अन्तर की राशि रू0 1750.00 सम्बन्धित अधिक पाने वाले कर्मी से राशि की वसूली कर कोषागार में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

कंडिका–10 मॅहगाई भत्ता मद में दोहरा भुगतान रू0 1590.00 वसूली योग्य –

शीर्ष 2029 वर्ष 10–11 के वेतन भुगतान पंजी में भुगतीत वेतन की जॉच में पाया गया कि अंचल कार्यालय, सदर गया में पदस्थापित वर्ग–3 एवं 4 के कर्मचारियों को माह अप्रैल 2010 का वेतन विपत्र सं0 12/10–11 से निकासी कर 35% की दर से मॅहगाई भत्ता का भुगतान दिनांक 4.6.10 को किया गया था।

पुनः उसी अवधि के मॅहगाई भत्ता का भुगतान करने हेतु विपत्र सं0 56/10–11 के द्वारा उक्त अवधि अप्रैल 10 का बकाया मॅहगाई भत्ता दिनांक–20.01.2011 को दोहरा भुगतान किया पाया गया। इस प्रकार की गई भुगतान 35% –27% =8% प्रतिशत अधिक दर से किया गया था।

अतः एक ही अवधि के लिये दोहरा भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक नहीं किया गया।

दोहरा भुगतान से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	दोहरा भुगतान का विपत्र सं0 एवं वर्ष	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	मूल वेतन+ग्रेड पें	भुगतीत मं0 भ08% प्रतिशत वसूली योग्य राशि	भुगतान तिथि
1.	56/10–11	श्री वोनी फॉस एक्का निम्न वर्गीय लिपिक	7780/–	622.00	20.01.2011
2.	तदैव	सदानन्द कुमार अनुसेवक	6050/–	484.00	,,
3.	तदैव	जितेन्द्र कुमार अनुसेवक	6050/–	484.00	,,

अतः मँहगाई भत्ता मद में एक ही अवधि के लिये 8% प्रतिशत की दर से रू0 1590.00 का दोहरा भुगतान की गई राशि वसूली योग्य है। दोषी व्यक्तियों से दोहरा भुगतान की राशि 1590.00 की वसूली कर कोषागार के में जमा कराया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दिया जाय।

कंडिका–11 लगान वसूली राशि से कम जमा राशि रू0 540.00 वसूली योग्य :–

वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 के फर्द मिल्कियत लगान रसीद से 3 ए0 पंजी के मिलान एवं सत्यापन में पाया गया कि कुछ हल्कों में लगान रसीदों के माध्यम से विभिन्न रसीद संख्या एवं तिथियों को रैयतों से लगान की राशि की वूसली की गई थी, किन्तु लगान रसीद द्वारा की गई वसूली राशि से कम राशि 3 ए0 रोकड़ पंजी एवं रोकड़ पुस्त में प्रविष्ट की गई थी। 3 ए0 रोकड़ पंजी एवं रोकड़ पुस्त में कम प्रविष्ट की गई राशि की विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ज' पर अंकित है। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत की गई थी, निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

अतः दोषी व्यक्तियों से कम जमा की गई राशि रू0 540.00 की वसूली कर कोषागार में जमा कया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

कंडिका–12 चिकित्या भत्ता मद में अधिक भुगतान रू0 464.00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2029 वर्ष 10–11 के वेतन भुगतान पंजी में भुगतीत वेतन की जॉच में पाया गया कि अंचल कार्यालय सदर गया में पदस्थापित वर्ग–3 एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का माह अगस्त 2010 का वेतन दिनांक–1.8.2010 से दि0 22.8.2010 तक का खण्ड वेतन भुगतान किया गया था, परन्तु चिकित्सा भत्ता मद में पूरे माह का रू0 200.00 की दर से भुगतान कर दिया गया था। जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

क्र0 सं0	विपत्र सं0	भुगतान तिथि	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	कार्यावधि	चि0भ0 मद में भुगतान की गई पूर्ण राशि	भुगतान योग्य राशि	अन्तर राशि
1	61/10–11	20.1.2010	महेन्द्र प्र0 लाल रा0कर्म0	1.8.10 से 22.8.10 तक 22 दिनांक	200.00	142.00	58.00

2.	,,/,,	तदैव	जितेन्द्र ठाकुर रा0 कर्म0	तदैव	200.00	142.00	50.00
3.	,, /,,	तदैव	प्रेमचन्द्र चौधरी रा0कर्म0	तदैव	200.00	142.00	58.00
4.	60/,,	तदैव	आशा देवी, अनुसेवी	तदैव	200.00	142.00	58.00
5.	,,/,,	तदैव	मामती देवी, रा0 कर्म0	तदैव	200.00	142.00	58.00
6.	,,/,,	तदैव	श्री पति सुधीर रा0कर्म0	तदैव	200.00	142.00	58.00
7.	,,/,,	तदैव	न्बोर किण्डो रा0कर्म0	तदैव	200.00	142.00	58.00
8.	42/10–11	10.11.10	हेमन्त कुमार उच्च वर्गीय लिपिक	तदैव	200.00	142.00	58.00
					1600.00	1136.00	464.00

इस प्रकार क्रमांक 1 से 8 तक के कर्मियों को रू0 58.00 प्रतिकर्मी की दर से कुल 58X8=464.00 का अधिक भुगतान किया गया जो वसूली योग्य है। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

अतः अधिक पाने वाले दोषी कर्मियों से राशि रू0 464.00 की वसूली कर कोषागार में शीघ्र जमा कराया जाय तथा इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका–13 अनुमान्य म0 भत्ता की दर से अधिक जीवन–निर्वाहन भत्ता का भुगतान रू0 400.00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2029 वर्ष 10–11 के वेतन भुगतान पंजी में भुगतीत वेतन की जॉच में पाया गया कि श्री संतोष कुमार अम्बष्ट, राजस्व कर्मचारी का निलम्बन भत्ता माह जून 10 एवं जुलाई 10 का विपत्र सं0 36/10–11 से निकासी कर दिनांक 12.8.10 को कुल रू0 23634.00 का भुगतान किया गया था। श्री अम्बष्ट का मूल वेतन 17210.00 था जिसका 50% प्रतिशत

राशि 8605.00 पर देय मॅहगाई भत्ता 35% प्रतिशत राशि 3012.00 रू0 होता है। इस प्रकार श्री अम्बष्ट को देय राशि 8605.00+3012 मं0भ0 =11617.00 प्रतिमाह कुल दो माह जून 10 एवं जुलाई 10 का कुल रू0 23,234 भुगतान योग्य राशि स्थान पर मूलवेतन 8605 + मं0 भ0 मद में 35% प्रतिशत राशि 3212.00=11817X2=23634 का भुगतान किया गया।

इस प्रकार कुल रू0 23634–रू0 23,234 रू0 400 अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य है। वसूली योग्य राशि की वसूली हेतु आपत्ति निर्गत किया गया था, जिसका अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

अतः दोषी व्यक्ति से रू0 400.00 की वसूली कर कोषागार में जमा कराया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका–14 नाजीर रसीद द्वारा प्राप्त राशि रू0 331.20 कम जमा, वसूली योग्य :–

वित्तीय वर्ष 10–11 में नाजीर रसीद से अंचल नजारत में जमा राशि का मिलान एवं सत्यापन में पाया गया कि हल्का सं0–4 के लगान वसूली राशि का कुल योग रू0 1,01,901.20 होता था, जिसके विरूद्ध हल्का कर्मचारी द्वारा विभिन्न नाजीर रसीदों के द्वारा मात्र 1,01,570.00 रू0 ही जमा किया गया था। इस प्रकार रू0 1,01,901.20– 1,01570. 00=331.20 कम जमा किया गया था कम जमा राशि पर आपत्ति निर्गत की गई, जिसका अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक नहीं किया जायगा।

अतः दोषी हल्का कर्मचारी से अन्तर की राशि रू0 331.20 की वसूली कर कोषागार में जमा करायी जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

कंडिका–15 योग भूल के कारण वेतन मद में अधिक भुगतान रू0 200.00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2029 वर्ष 10–11 के वेतन भुगतान पंजी में भुगतीत वेतन की जॉच में पाया गया कि अंचल कार्यालय सदर गया में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी श्री प्रेमचन्द चौधरी का माह जुलाई 2010 का वेतन विपत्र संख्या 61/10–11 से निकासी कर दिनांक 20.01.2011 को कुल रू0 25286.00 का भुगतान किया गया था।

योग जॉच में पाया गया कि श्री चौधरी को शुद्ध भुगतान योग्य राशि माह जुलाई 2010 के वेतन का योग भविष्य निधि की राशि रू0 2000.00 की कटैती कर 25,086.00 ही होता है। इसके विरूद्ध श्री चौधरी को 25286.00 रू0 का भुगतान किया गया था। इस

प्रकार योग भूल के कारण 25286.00–25,086.00=200.00 रू0 का अधिक भुगतान किया गया था। भुगतान से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :–

विपत्र सं0 एवं वर्ष	भुगतान पंजी के अनुसार जुलाई 2010 का भुगतीत राशि का योग (किया गया)	अंकेक्षक के अनुसार भुगतान योग्य राशि का योग (वास्तविक)	अन्तर की राशि	भुगतान तिथि
61/10–11	वेतन–18680.00 मं0भ0@ 35% 6538.00	वेतन –18680.00 मं0भ0@ 35%– 6538.00	200.00	20.1.2011
	मकान भाड़ा भत्ता@ 10%– 1668.00	मकान भत्ता–1668.00 मं0भ0@ 10%		
	चि0 भ0–200.00	चि0भ0 –200.00		

किया गया योग–27,286.00 वास्तविक योग –27,086.00

इस प्रकार कार्यालय द्वारा भविष्य निधि कटौती के पश्चात् योग 25286.00 – अंकेक्षक द्वारा योग 25,086.00=200.00 का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान राशि के सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया गया था। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया।

अतः दोषी व्यक्ति से अधिक भुगतान की गई राशि 200.00 रू0 की वसूली कर कोषागार में शीघ्र जमा करायी जाय। तथा इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका–16 जमा समेकित विवरणी में राजस्व की राशि रू0 105.90 कम जमा दिखाया जाना वसूली योग्य :–

हल्का सं0 5 वर्ष 11–12 के रोकड़ वही, 3 ए0 पंजी से नाजिर रसीद से जमा समेकित विवरणी का सत्यापन रोकड़ बही शीर्ष 2029 में प्रविष्ट नाजिर रसीद संख्या 088999 दि0 2.4.12 से रू0 1736.25 पै0 जमा दिखाया गया था। परन्तु समेकित विवरणी में 1796.25 पै0 अंकित कर कुल जमा 2,46,999.50 पै0 दर्शाया गया था। इस प्रकार 1796.25–1736.25=60 रू0 कम दर्शाया गया था। सम्वन्धित हल्का कर्मचारी द्वारा 2,46,999.50 पै0 जमा

करना चाहियें था। लेकिन हल्का कर्मचारी द्वारा 2,46,939.50 हीं जमा किया गया था। इस प्रकार 2,46,939=50 पै0–2,46,939.50=60 रू0 कम जमा किया गया, जो वसूली योग्य है।

इसी प्रकार हल्का सं0 7 वर्ष 11–12 के रोकड़ बही, 3 ए पंजी, के नाजीर रसीद से जमा समेकित विवरणी के सत्यापन क्रम में रोकड़ बही शीर्ष 2029 में प्रविष्ट नाजीर रसीद से जमा के क्रम में पाया गया कि समेकित विवरणी में रू0 45.90 दर्शाया गया था। जिसका नाजीर रसीद सं0 अंकित नहीं था। तथा वर्ष 11–12 के शीर्ष 2029 रोकड़ पुस्त में 45.90 की प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः रू0 60.00+45.90=105.90 का कम जमा के सम्बन्ध में आपत्ति भी निर्गत की गई थी, परन्तु निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

अतः दोनों हल्कों के हल्का कर्मचारीयों से क्रमशः 60.00 ओर रू0 45.90 कुल रू0 1050.90 की वसूली कर कोषागार में शीघ्र जमा कराया जाय। तथा इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(17) रू0 22,051.00 का व्यय आपत्तिअर्न्तगत :–

शीर्ष 2029 सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष 11–12 के व्ययों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय व्यय, वाहन ईधन एवं रख–रखाव तथा वर्दी एवं पोशाक मद में दिनांक–23.3.12 एवं 24.3.12 को शीर्ष 2029 सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय भाग में व्यय दिखलाया गया था। व्यय से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है।

क्र0 सं0	विपत्र सं0	मद	व्यय की गई राशि	व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव सं0 एवं वर्ष	शीर्ष 2029 स0रो0पु0 में व्यय की तिथि
1.	78 / 11–12	कार्यालय व्यय	11997.00	4 / 17.6.08,13,15,20,19,21 दि0 17.6.08 तथा अभिश्रव सं0 29,32,35,36,39,37,38,52,55 / 8–9 अं0सं0 1,2,4,5,6,7,8,9,13,3 / 9–10 42 / 18.1.98,43 / 18.2.09 अंकित था।	23.3.12
2.	80 / 11–12	वाहन ईधन एवं	5554.00	28,32,33,34,35,76,73,74,75 / वर्ष 10–11 तथा अभिश्रव सं0	23.3.12

		रख–रखाव		78,77 / 11–12 अंकित था।	
3.	89 / 11–12	वर्दी एवं पोशाक	4500.00	99 / 11–12	24.3.12

कुल व्यय की राशि – 22,051.00

व्यय के सम्बन्ध में रोकड़ पुस्त के व्यय भाग में अंकित विपत्रों स्वीकृत्यादेशों आकस्मिकता पंजी, भंडार पुस्त आदि की मॉग अंकेक्षण द्वारा लिखित और मौखिक रूप से किया गया। आपत्ति भी इस व्यय के सम्बन्ध में निर्गत किया गया था। परन्तु न तो कोई व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया, जिससे व्यय की सत्यता और प्रमाणिकता की जानकारी अंकेक्षण को नहीं हो सकी, अंकित अभिश्रवों से पूर्व के व्ययों का भी अभिश्रवों के माध्यम से समायोजन किया गया था।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस तरह के व्ययों की ओर आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से छानबीन कर व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत करायी जाय। तबतक व्यय से सम्बन्धित राशि रू0 22,051.00 का व्यय आपत्ति अर्न्तगत रखी जाती है।

(18) प्राप्ति हस्ताक्षर के अभाव में रू0 10500.00 आपत्तिअर्न्तगत :–

शीर्ष 2245 साहाय्य मद के रोकड़ पुस्त वर्ष 10–11 के व्ययों की जॉच में पाया गया कि दिनांक 12.6.10 को प्राकृतिक विपदा से हुए क्षति के पश्चात् कुल चार लाभार्थीयों को प्रति लाभार्थी 2500.00 रू0 की दर से भुगतान किया गया था।

पुनः दिनांक 9.11.11 को अग्नि सहारय मद में एक लाभाथ्री को 500.00 रू0 का भुगतान किया गया था। भुगतान से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	शीर्ष	भुगतान पानेवाले लाभार्थी का नाम एवं पता	भुगतित राशि	भुगतान तिथि
1.	2245 अर्न्तगत प्राकृतिक विपदा से हुए क्षति पूर्ति हेतु	अफरीना साना पिता सलीम मौजा मुरारपुर	2500.00	12.6.11
2.	"	मो0 रिजवान पिता असीर मौजा मुशरपुर	2500.00	"

3.	,,	सगुप्ता पिता सलीम मौज मुरारपुर	2500.00	,,
4.	,,	निकाहत प्रवीण पिता आमीन खाँ मौजा मुरारपुर	2500.00	,,
5.	अग्नि साहाय अनुदान	श्री मेंहगू मॉझी, पिता स्व0 शनिचर मॉश्री ग्राम चोडहर पंचायत धनसीर	500.00	9.11.11
			10500.00	

उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा प्राप्ति प्रमाणक अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

अतः सक्षम पदाधिकारी अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं की जॉच कर लें तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय। तत्काल राशि रू0 10,500.00 का भुगतान आपत्तिअर्न्तगत रखी जाती है।

(19) रू0 1000.00 का व्यय आपत्तिअर्न्तगत।

वित्तीय वर्ष 10–11 से हल्का सं0–6 के 3 ए0 पंजी का नाजिर रसीद से जमा समेकित विवरणी एवं शीर्ष 2029 रोकड़ पुस्त की जॉच सत्यापन क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 10–11 के हल्का सं0–6 में कुल लगान की वसूली राशि 1,99,204.25 की हुई थी। जिसके विरूद्ध समेकित नाजीर रसीद से जमा नाजिर रसीद संख्या 177000 दि0 5.1. 11 को रूपयें 28979.00 को समाहित करते हुए रू0 1,99,204.25 जमा किया गया था।

शीर्ष 2029 वर्ष 10–11 के रोकड़ पुस्त के पृष्ट सं0 96 पर दिनांक–5.1.11 को नाजीर रसीद संख्या 177000 से आय पक्ष में रू0 28979.00 की प्रविष्टि की गई थी। लेकिन दिनांक–13.2.11 को रोकड़ पुस्त (2029) के पृष्ट सं0 115 के व्यय भाग में पृष्ट सं0 96 का सुधार (नाजीर रसीद सं0 177000) अंकित था। जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है कि किस कारण रोकड़ पुस्त के व्यय भाग में संवरण शेष की राशि रू0 1000.00 घटा लेने का कारण की जानकारी नहीं हो सकी। घटाने का कारण भी रोकड़ पुस्त में दर्ज नहीं था। जिस कारण अंकेक्षण को घटाने की जानकारी नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में आपत्ति भी निर्गत की गई परन्तु निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक नहीं किया गया था।

अतः विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान संवरण शेष की राशि से रू0 1000.00 घटाने का कारण की जॉच अपने स्तर से करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को जॉच के प्रतिफल से अवगत कराने का सुझाव दिया जाता है। तबतक संवरण शेष से घटायी गयी राशि रू0 1000.00 आपत्तिअर्न्तगत रखी जाती है।

कंडिका सं0–20 असमायोजित अभिश्रव के रूप में राशि 10,09,135.97 समायोजन हेतु लम्बित समायोजन करने का सुझाव :–

वर्ष 10–11 एवं 11–12 के समान्य रोकड़ पुस्त के संवरा शेष की राशि की विस्तृत विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अंकेक्षण अवधि के पूर्व से एक बड़ी राशि असमायोजित अभिश्रव के रूप में दि0 31.3.10 तक रू0 9,41,395.00 असमायोजित थी। वर्ष 10–11 में असमंजित अभिश्रवों की राशि बढ़कर 9,61,641.00 रू0 गई थी तथा वर्ष 11–12 में असमंजित अभिश्रवों की राशि दि0–31.3.12 तक कुल 10,09,135.97 हो गयी थी, असमंजित जो विचलन कर व्यय किया गया था जो बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 8 एवं 11 के प्रतिकूल हो निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान असमायोजित अभिश्रवों की समायोजन हेतु आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से आवंटन प्राप्त कर समायोजन सुनिश्चत कराते हुए प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

भाग – 3 (सुझावात्मक)

कंडिका–2 अव्यवहृत राशि रू0 24,17,658.82 कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

विभिन्न सहायक रोकड़ पुस्तों एवं सामान्य रोकड़ पुस्त के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विभिन्न मदों के सहायक रोकड़ पुस्तों के संवरण शेष के रूप में अव्यवहृत स्थिति में अंकेक्षण पूर्व अवधि दि0 31.03.10 से निम्नलिखित मदों/शीर्षो में कुल राशि 24,17658.82 यो ही पड़ी हुई थी। इस मद में न आय हो रहा था और न व्यय हीं। अव्यवहृत पड़ी राशियों का व्योरा निम्नवत् है :–

क्र0	शीर्ष और मद का नाम	वित्तीय वर्ष 10–11 के पूर्व से अव्यवहृत रूप में पड़ी रशि
1.	निर्वाचन (2015)	12960.95
2.	कृषि एवं ऋण (2401)	97780.00

3.	राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन (एन0आर0ई0पी0)	24638.90
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी नियोजन कार्यक्रम (आर0एल0ई0जी0पी0)	270326.38
5.	जिला योजना मद	26759.00
6.	क्षतिपूर्ति (5475)	1376.75
7.	विविध	2,31151.10
8.	इंदिरा आवास योजना (हरिजन)	6,31,618.34
9.	गृह स्थल योजना	1,64,070.00
10.	सघन जवाहर योजना	64247.50
11.	इंदिरा आवास (पिछड़ा वर्ग)	34753.00
12.	नगर विधायक द्वारा अनुमंसित योजना	24188.00
13.	ग्राम पंचायत (निर्वाचन)	31476.90
14.	महादलित वास रहित परिवारों को रैमती भूमि रूप हेतु	8,02,312.00

24,17,658.82 पै0

इनमें से अधिक योजनायें अंचल से संचालित नहीं होती, फिर भी राशि अव्यवहृत रूप में रखी गई। इतनी बड़ी लोकहित की राशि को कोषागार से राशि निकालकर बचत खाता में रखना बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 के प्रतिकूल है। बजट मैनुअल के नियम 107 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि आवश्यकता नहीं हो तो राशि को अव्यवहृत रूप में नहीं रखा जाय। उसे सम्बन्धित कार्यालय/विभाग को लौटा दिया जाय।

अतः अव्यवहृत राशि रू0 24,17,658.82 को सम्बन्धित कार्यालय/विभाग/ कोषागार के संबंधित शीर्षो में वापस कर दी जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(22) भू–राजस्व वसूली राशि को ससमय कोषागार में जमा किये जाने का सुझाव :–

वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 में भू–राजस्व मद में वसूली, नाजीर रसीद से जमा, शीर्ष 2029 रोकड़ पुस्त एवं रेमिटेन्स पंजी के जॉच क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 10–11 की कुल वसूली राशि 842426.60 में से 7,95,198.35 ही वित्तीय वर्ष 10–11 में जमा की

गई थी। शेष (राशि 8,42,426.60–7,95,198.35) =47228.25 संवरण शेष के जमा हेतु लम्बित रह गई। जिसे वित्तीय वर्ष 11–12 में जमा किया गया था।

उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 11–12 में कुल भू–लगान राजस्व मद में वसूली राशि 23,78,401.35 के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 11–12 में 20,75,804.85 कोषागार में जमा किया गया था। शेष राशि (23,78,401.35–20,75,804.65)=3,02,596.70 पै0 जमा के आभाव में संवरण शेष में लम्बित रह गया था। जिसे वित्तीय वर्ष 12–13 में जमा किया गया था। नियमतः जिस वित्तीय वर्ष में राशि की वसूली होती है उसे उसी वित्तीय वर्ष में जमा भी हो जाना चाहिये था। वित्तीय नियमों की अनदेखी कर राजस्व की राशि को विलम्ब से जमा करना सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन है। आपत्ति भी निर्गत किया गया था। लेकिन निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया था।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान राजस्व से वसूली राशि की विलम्ब से जमा की ओर आकृष्ट किया जाता है। तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसकी सलाह दी जाती है।

कंडिका–23 मापी शुल्क (अमीन शुल्क) के रूप में प्राप्त राशि रू0 63,045.00 को कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 के शीर्ष 2029 जमा पंजी (रेमिटेन्स पंजी) एवं जमा से सम्बन्धित राशियों का कोषागार सत्यापन क्रम में पाया गया कि अंचल कार्यालय सदर गया द्वारा नाजिर रसीद के माध्यम से मापी शुल्क के रूप में वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 में क्रमशः रू0 23350.00 एवं 39695.00 कुल रू0 63045.00 प्राप्त की गई थी। जिसे यथाशीघ्र कोषागार में जमा की जानी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं पाया गया। प्राप्त राशि की विवरणी इस कंडिका के परिशिष्ट संख्या ''झ'' पर अंकित है।

जमा करने हेतु आपत्ति निर्गत की गई थी। निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

अतः विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान मापी शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि 63,045.00 रू0 कोषागार में जमा कराने हेतु आकृष्ट किया जाता है। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

कंडिका–24 रू0 14,600.00 (भविष्य निधि कटौती की राशि) कर्मी के खाते में जमा करने का सुझाव :–

शीर्ष 2029 वर्ष 10–11 के वेतन भुगतान पंजी में भुगतीत वेतन की जॉच में पाया गया कि अंचल कार्यालय सदर गया में पदस्थापित वर्ग–3 एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का माह अक्टूबर 2010 में दिनांक–21.10.10 से 31.10.10 तक कुल 11 दिनों का वेतन विपत्र सं0 65/10–11 से निकासी कर कुल रू0 72,042.00 का भुगतान दिनांक 20.1.11 को किया गया था। विपत्र बनाने के क्रम में भविष्य निधि अंशदान की कटौती नहीं की गई। और न भुगतान के समय हों।

भविष्य निधि नियमावली के अनुसार वितीय वर्ष के प्रारंभ्भ से जो कटौती निर्धारित हो उसे प्रत्येक माह के वेतन से कटौती कर सम्बन्धित कर्मी के भविष्य निधि में जमा होनी चाहिये थी, जो नहीं हुआ था। विना कटौती किये ही राशि का भुगतान किया गया था। यदि वेतन भुगतान संहित करना था तो संहित भविष्य निधि कटौती भी होनी चाहिये थी। पर ऐसा नहीं हुआ था। विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	विपत्र सं0 एवं वर्ष	कर्मी का नाम एवं पदनाम	कर्मी को कुल भुगतान की गई राशि	भविष्य निधि कटौती योग्य कर्मी के अंशदान की सभी खाते के जमा करने योग्य।	भुगतान योग्य राशि
1.	65/10–11	हेमन्त कुमार रा0 कर्म0	9398.00	2000.00	7398.00
2.	,, ,,	मलती देवी रा0 कर्म0	9756.00	2000.00	7756.00
3.	,, ,,	महेन्द्र प्र0 लाल रा0 कर्म0	9398.00	2000.00	7398.00
4.	,, ,,	जितेन्द्र कुमार रा0 कर्म0	9226.00	2000.00	7226.00

5.	,, ,,	प्रेमचन्द्र चौधरी रा0 कर्म0	10335.00	2000.00	8335.00
6.	,, ,,	श्रीमति सुधीर रा0 कर्म0	9040.00	2000.00	7040.00
7.	,, ,,	नबोर किन्डो रा0 कर्म0	9465.00	2000.00	7465.00
8.	,, ,,	आशा देवी (अनुसेवी)	5424.00	600.00	4824.00
			72,042.00	**14,600.00**	**57442.00**

अतः कर्मीयों की संख्या 1 से 3 तक के नामों के सामने भविष्य निधि अंशदान की कटौती योग्य राशि को सम्बन्धित कर्मियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

कंडिका–25 अवव्यवहृत राशि रू0 8,485.00 कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

शीर्ष 2029 वर्ष 10–11 के रोकड़ पुस्त की जॉच एंव सत्यापन में पाया गया कि विपत्र सं0 92/10–11, 93/10–11 एवं 94/10–11 से कार्यालय व्यय, वाहन ईधन रख–रखाव और वर्दी एवं पोशाक मद में राशि की निकासी कर दिनांक–31.3.11 को रोकड़ पुस्त के पृष्ट सख्या 128 पर आय भाग में राशि की प्रविष्टि की गई थी।

व्यय के आभाव में यह राशि अंचल कार्यालय के रोकड़ पुस्त शीर्ष 2029 में अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक पड़ी हुई पायी गई। निकासी राशि का विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	विपत्र सं0 एवं वर्ष	मद	मदवार निकासी राशि	शीर्ष 2029 रो0पु0के पृष्ट सं0 128 पर आय भाग में प्रविष्टि की तिथि
1.	92/10–11	कार्यालय व्यय	1998.00	31.3.11

2.	93/,, ,,	वाहन एंव ईधन तथ रख–रखाव	1987.00	,, ,,
3.	94/,, ,,	वर्दी एवं पोशाक	4500.00	,, ,,
			8,485.00	

व्यय की प्रत्याशा में राशि को रोक कर रखना वित्तीय नियमों का घोर उल्लंघन है। निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नहीं लौटाया गया। अतः उक्त राशि 8485.00 को कोषागार में शीघ्र जमा करने का सुझाव दिया जाता है। तथा जमा से सम्बन्धित सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दिया जाय।

26. रू0 22,82,853.00 की कोषागार से निकासी राशि की प्रविष्टि विपत्र पुस्त रोकड़ पुस्त में प्रविष्टि हेतु सुझाव :–

वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 के कोषागार सत्यापन में पाया गया कि विभिन्न शीर्षो में विभिन्न विपत्रों से विभिन्न तिथियों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अंचलाधिकारी सदर गया के नाम पर हुई थी। लेकिन इन राशियों की प्रविष्टि विपत्रवार न तो विपत्र पुस्त में पायी गई, और न सम्बन्धित शीर्षो के सहायक रोकड़ पुस्त में आय तथा व्यय दोनों भागों में नही पायी गई। विवरणी इस कंडिका के परिशिष्ट ''ट'' पर अंकित है। परिशिष्ट में अंकित विपत्रो से राशि की निकासी कोषागार से सीधे निकाल कर भुगतान पंजी के माध्यम से भुगतान किया गया था। जिसका विपत्र सं0 और राशि भुगतान पंजी में अंकित था। जिसकी जॉच कोषागार अभिलेख से कर ली गई थी। परन्तु निकासी की गई राशि का विपत्रवार रोकड़ पुस्त के आय और व्यय भाग में नहीं दर्शाया जाना बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 के अनुसार रोकड़ पुस्त में सभी प्राप्तियों और भुगतानों की प्रविष्टि अंकित करना अनिवार्य है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान अपने स्तर से परिशिष्ट में अंकित विपत्रों एवं राशियों की प्रविष्टि हेतु आकृष्ट किया जाता है कि विपत्र पुस्त और सम्बन्धित शीर्षो के रोकड़ पुस्तों में प्रविष्ट करायी जाये तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय। उक्त नियम का भविष्य में दृढ़ता से पालन हो और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका ख्याल रखा जाय।

27. रू0 9,15,240.00 सामान्य रोकड़ पुस्त के आय और व्यय भाग में अंकित करने एवं रू0 2,37,085.50 रोकड़ पुस्त एवं सा0 रोकड़ पुस्त के सहायक रोकड़ पुस्त से सा0 रोकड़ पुस्त से मिलान करने तथा आय–व्यय का योग एवं संतुलन के सत्यापन क्रम में पाया गया

कि शीर्ष 2055 (ग्रामीण पुलिस) के स0 रो0 पु0 में अंकित विपत्र सं0 57/11–12 राशि 8,65,938.00 आय–व्यय की प्रविष्टि सामान्य रोकड़ पुस्त में दि0 24.11.11 को सामान्य रोकड़ पुस्त में नहीं पाया गया। इस राशि की आय दि0 24.11.11 को ही हुआ था।

पुनः शीर्ष 2071 (पेंशन एवं उपादान) मद में दि0 16.12.10 को विपत्र सं0 46/10–11 से राशि 49302.00 रू0 का आय हुआ और दिनांक 24.12.10 को व्यय भी हुआ। लेकिन सामान्य रोकड़ पुस्त में सम्बन्धित शीर्ष में दिनांक 16.12.10 को आय भाग में प्रविष्टि नहीं हुई और न दिनांक 24.12.10 के व्यय भाग में व्यय की प्रविष्टि पायी गई। विवरण निम्नवत् है।

क्र0	विपत्र सं0 एंव वर्ष	निकासी तिथि	निकासी राशि	व्यय की राशि	व्यय की तिथि
1.	57/11–12 शीर्ष 2055 ग्रा0पु0	24.11.12	8,65,938.00	8,65,938.00	24.11.12
2	46/11–12 शीर्ष 2071 पेंशन एवं उपादान	16.12.10	49302.00	49302.00	24.12.10
			9,15,240	9,15,240.00	

विवरण में अंकित तिथियों को आय व्यय का संधारण नहीं पाया गया।

(ख) शीर्ष 2029 वित्तीय वर्ष 10–11 के रोकड़ पंजी के व्यय भाग से रेमिटेंन्स पंजी में मिलान एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि दिनांक 19.2.11 को चेक संख्या 007249 के द्वारा एस0 बी0 आई0 मेन बॉच गया में रू0 2,37,085.50 जमा किया गया था। कोषागार सत्यापन में भी कोषागार में जमा पाया गया। उक्त राशि में निम्न मदों की राशि सन्निहित थी। विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	मद	राशि
1	मास एवं मेस	1,81,580.60
2	स्वास्थ्य सेस	52504.90
3	सैरात	3000.00
		2,37,085.50 पै0

इस प्रकार रू0 2,37,085.50 की प्रविष्टि शीर्ष 2029 में रोकड़ पुस्त एवं सा0 रोकड़ पुस्त के व्यय भाग में नहीं पायी गई। जिसके कारण संवरण शेष की राशि भी अहूता नहीं रहा।

अतः सुझाव दिया जाता है कि विवरणी 'क' की राशि 9,15,240.00 रू0 की प्रविष्टि सम्बन्धित सामान्य रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय पक्ष में अंकित कर दिया जाये तथा कंडिका 'ख' की राशि रू0 2,37,085.50 शीर्ष 2029 के स0 रोकड़ पुस्त एवं सामान्य रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में अंकित कर संवरण शेष को नियमित किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

कंडिका सं0–28 निर्गत लगान रसीदों को नजारत में वापस करने का सुझाव :–

वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 में लगान रसीदों ने भंडार पंजी की जॉच एवं सत्यापन में पाया गया कि कतिपय लगान रसीदों के भौलूम वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 में हल्का कर्मचारियों को निर्गत किया गया था, परन्तु वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् इन भौलुमों की वापसी की जानकारी अंकेक्षण को नहीं मिला। इसे उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत किया था। परन्तु निर्गत आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति की तिथि तक नहीं किया गया। वापस नहीं कराये गये लगान रसीदों की विवरणी निम्नवत् है। –

क्र0सं0	लगान रसीद सं	प्राप्ति की तिथि	प्राप्तकर्त्ता रा0 कर्म0 का नाम एवं पदनाम	हल्का सं0
1	399051 से 399100	1.6.10	श्री प्रेमचन्द्र चौधरी हल्का कर्म0चारी एवं अंचल निरीक्षक / स्थानान्तरण	शेहरी गया क्षेत्र
2.	399201 से 399250	,,	,,	
3.	399101 से 399150	,,	,,	
4.	399001 से 399050	,,	,,	
5.	399151 से 399200	,,	,,	

6.	393901 से 393950	,,	,,	
7.	399251 से 399300	6.1.11	11.11.11	
8	886901 से 886950	,,	,,	
9	886951 से 887000	,,	,,	
10	272 से 272400351	,,	,,	
11	272301 से 272350	,,	,,	
12	272251 से 272300	,,	,,	
13	446051 से 446100	27.4.11	,,	
14	940101 से 446150	,,	,,	
15	446151 से 446200	,,	,,	

(ख)

क्र0सं0	लगान रसीद सं0	प्राप्ति तिथि	प्राप्तकर्त्ता हल्का कर्मचारी का नाम	हल्का सं0	अभ्युक्ति
1.	586501 से 586650	28.6.11	श्री गनौर राम हल्का कर्म0	3	सेवानिवृत
2	435201 से 435250 तक	2.12.11	,,		
(ग)1.	435701 से 435750 तक	4.1.12	श्री नबोर किन्डो हल्का0 कर्म0	शहरी क्षेत्र	सेवानिवृत
2	882601 से 882650 तक	10.1.12	,,		

3	882551 से 882600 तक	,,	,,		
4	882451 से 882500 तक	,,	,,		
(घ)1.	231651 से 231700 तक	23.2.12	महेन्द्र प्र0 लाल हल्का कर्म0	1 और 5	सेवानिवृत
2.	231701 से 231750 तक	,, ,, ,,	,,		
3.	231751 से 231800	,,	,,		

उपरोक्त विवरण में वर्णित लगान रसीदों की नजारत में वापसी कर्मचारियों में स्थानान्तरण एवं सेवानिवृति के पश्चात न होना पदा0/कर्मचारियों के उदासीनता एवं कार्य में लापरवाही का घोतक है। फलस्वरूप भविष्य में वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान अंचल नजारत कार्यालय गया से निर्गत रसीद बहीयॉ की वापसी की ओर आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से छानबीन कर निर्गत रसीद बहीयों को वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर जो नवीनीकरण नहीं किये गये हों की नजारत में वापसी सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया जाता है। तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया गया।

कंडिका सं0–29 सामान्य रोकड़ पुस्त, सहायक रोकड़ पुस्त का संधारण टी0सी0फार्म 86 में करने का सुझाव :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 के अनुसार रोकड़ पुस्त का संधारण टी0 सी0 फार्म 06 में लेना चाहियें। अंकेक्षण अवधि वर्ष 10–11 एवं 11–12 में इसका पालन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि सामान्य रोकड़ पुस्त, शीर्ष 2029 सहायक रोकड़ पुस्त, शीर्ष 2055 ग्रमीण पुलिस के साथ साथ सभी शीर्षो के सहायक रोकड़ पुस्त सादा कागज को जिल्द मढ़कर रोकड़ पुस्त के रूप में संधारित किया गया था। साथ ही रोकड़ पुस्त के प्रत्येक आय और व्यय भाग के प्रत्येक प्रविष्टि पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से लधु हस्ताक्षर भी नहीं कराया गया था। प्रत्येक माह के अंत में और वित्तीय वर्ष के अन्त में संवरण शेष की राशि का विस्तृत विवरणी अंकित कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से हस्ताक्षर सत्यापन के पश्चात् नहीं कराया गया था।

अतः सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ पुस्तों का संधारण टी0सी0 फार्म 06 में ही किया जाये तथा आय और व्यय के प्रत्येक प्रविष्टियों पर निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का

हस्ताक्षर कराया जाय। माह के अन्त और वित्तीय वर्ष के अंत में रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की राशि का विस्तृत विवरणी भी अवश्य रूप से अंकित किये जाय।

कंडिका सं0–30 रद् नाजीर रसीदों की मूल प्रति कार्बन प्रति के साथ रखने का सुझाव :–

वित्तीय वर्ष 10–11 एवं 11–12 में नाजीर रसीद से जमा राशि के मिलान में पाया गया कि नाजिर सं0 544033 और 544034 दि0 28.5.11 को नापी शुल्क के एवज में काटकर रद् किया गया था। जिस पर पार्टी का नाम पता एवं राशि अंकित था। पर रद् नाजिर रसीद की मूलप्रति कार्बन प्रति के साथ संलग्न नहीं था। रद् की स्थिति में मूल रसीद का कार्बन के प्रति के साथ संलग्न रहना चाहियें। नहीं की स्थिति में शक के दायरे से बचा नहीं जा सकता।

अतः सुझाव दिया जाता है कि व्यवहार में आने वाले रसीदों की मूल प्रति रद् की अवस्था में कार्बन प्रति के साथ रहे। इसे दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाय। भविष्य में पुनरावृति न हो इसका ध्यान रखा जाय।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

1. संत कुमार भगत, व0अं0–2

परिशिष्ट –"क" कंडिका–"1–ट" से सम्बन्धित।

(क) प्रस्तुत अभिलेख वर्ष 2010–11 से 2011–12

1. सामान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 2010–11 से 2011–12
2. शीर्ष 2029 सहायक रोकड़ पुस्त – ,, ,,
3. शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस स0 रो0 पु0 – ,, ,,
4. शीर्ष 2245, 2235 स0 रो0 पुस्त – ,, ,,
5. इंन्दिरा आवास स0 रो0 पुस्त – ,, ,,
6. विविध स0 रो0 पुस्त – ,, ,,
7. विधायक कोटा स0 रो0 पु0 – ,, ,,
8. 2015 निर्वाचन स0 रो0 पु0 – ,, ,,
9. 2401 कृषि स0 रो0 पु0 – ,, ,,
10. 2071 पेंशन स0 रो0 पु0 – ,, ,,
11. एन0 आर0 ई0 पी0 स0 रो0 पु0 – ,, ,,
12. आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 स0 रो0 पु0 – ,, ,,
13. जिला योजना मद स0 रो0 पु0 – ,, ,,
14. 5475 क्षतिपूर्ति रा0 प0 रो0 पु0 – ,, ,,
15. इंदिरा आवास (हरिजन) स0 रो0 पु0 – ,, ,,
16. गृह स्थल योजना सं0 रो0 पु0 – ,, ,,
17. सद्यन जवाहर योजना स0 रो0 पु0 – ,, ,,
18. नगर विधायक द्वारा अनुशंसित योजना स0 रो0 पु0 – ,, ,,
19. ग्राम पंचायत निर्वाचन स0 रो0 पु0 – ,, ,,

20. 2230 सामाजिक सुरक्षा स0 रो0 पु0 – ,, ,,

21. 4047 महादलित वाल रहित परिवारों को रैयती भूमि कम स0 रो0 पु0 – ,,

22. विपत्र पुस्त –

23. रेमिटेन्स पंजी –

24. सभी हल्कों का लगान रसीद बहियों – ,, ,,

25. लगान रसीद निर्गत पंजी – ,, ,,

26. 3 AA रोकड़ पुस्त (सभी हल्कों का) – ,, ,,

27. रिर्टन वन – 1 – ,, ,,

28. नाजीर रसीद – ,, ,,

(ख) <u>अप्रस्तुत अभिलेख</u> :–

1. सैरात पंजी वर्ष – 10–11 से 11–12

2. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी – ,, ,,

3. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति – ,, ,,

4. अभिश्रवों की रक्षी संचिका – ,, ,,

5. आकस्मिकता पंजी – ,, ,,

6. भंडार पंजी स्थाई एवं भरवाई – ,, ,,

7. नाजीर रसीद भंडार पंजी – ,, ,,

8. सेवा पुस्त – ,, ,,

9. बैंक पासबुक – ,, ,,

10. आवंटन से सम्बन्धित पत्र (भूल) – ,, ,,

(11) अग्रिम पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12 – ,, ,,

(12) अपारित अभिश्रवों एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख वर्ष 10–11 एवं 11–12

(13) बैंक स्टेटमेन्ट ,, ,,

(14) रद् किये गये नाजिर रसीद की मूल्य प्रति।

(15) उपस्थिति पंजी वर्ष – 10–11 से 11–12

परिशिष्ट – "ख" कंडिका– "3 (1) से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय सदर गया

शीर्ष 2029 भू–राजस्व आवंटन–व्यय विवरणी वर्ष –2010–11

शीर्ष 2029 ईकाई	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन+जीवन यापन भत्ता	3750,318.00 1800000.00 55,50,318.00	4163558.00	–	13,86,760.00			प्रत्यापर्णके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई।
यात्रा भत्ता	4000.00	800.00	–	3200.00			
कार्यालय व्यय	10000.00	1998.00	–	8002			
वर्दी / पोशाक	4500.00	4500.00	–	शून्य			
वाहन ईधन एवं रख–रखाव	10000.00	1987.00	–	8013.00			
कुल योग –	55,78,818	41,72843.00	–	14,05975.00			

शीर्ष 4047 (महादलित वास रहित परिवारों को रैयती भूमि क्रम हेतु) वर्ष 2010–11

शीर्ष 4047	विपत्र सं0 23 / 10–11ए0सी0 विपत्र से निकासी (आवंटन)	डी0सी0 विपत्र सं0 1 / 12–13 से समायोजित (व्यय)	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति

महादलित बास रहित परिवारों को रैयती भूमि क्रय हेतु	59,60,000.00	51,57,688.00	8,02,312.00	—	—	ए0सी0विपत्र सं0 23/10–11 से निकासी राशि का डी0 सी0 विपत्र सं0 1/12–13 से समायोजन के पश्चात् बचत राशि 8,02312.00 अचंल कार्या0 के रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के रूप में लम्बित।

परिशिष्ट –"ख" कंडिका–"3 (1) से सम्बन्धित।

2055 (ग्रामीण पुलिस) वर्ष –2010–11

शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन+जीवन यापन भत्ता।	38,51,946.00 50,49,240.00 89,01,186.00	4991750.00	—	39,09,436.00			प्रत्यार्पण के सम्बन्ध में कोई पत्रांक दिनांक या जानकारी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

शीर्ष 2245 साहारय अर्न्तगत उपशीर्षो का आवंटन–व्यय विवरणी वर्ष – 2010–11

शीर्ष 2245 अर्न्तगत उपशीर्ष	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि पत्रांक नियंक सहित	अभ्युक्ति
उप शीर्ष 0006	क्षतिग्रस्त मकान के लिये नगद भुगतान	6000.00	6000.00	–	शून्य	–	प्रत्यार्पण के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
,, ,, 0005	राहत कार्य के लिये नगद भुगतान	16000.00	10000.00	–	6000.00	–	
खाद्धान एवं आपूर्ति	खाद्यान एवं आपूर्ति	10000.00	10000.00	–	शून्य	–	
	कुल योग–	32,000.00	26000.00	–	6000.00		

परिशिष्ट– "ख" कंडिका– "3 (1) से सम्बन्धित।

आवंटन–व्यय विवरणी वर्ष 2011–12

अंचल कार्यालय सदर गया।

शीर्ष 2029/ईकाई	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पित राशि/पत्रांक दि0 (प्रत्यार्पण योग्य राशि)	अभ्यक्ति
वेतनादि जीवनयापन भत्ता	32,66,146.00	32,65,410.00	–	736.00	736.00	प्रत्यार्पण के संबंध में कोई भी जानकारी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
कार्यालय व्यय	12,000.00	11,997.00	–	03.00	03.00	
वाहन एवं ईधन रख रखाव	10,000.00	5554.00	–	4446.00	4446.00	
वर्दी/पोशाक	4500.00	4500.00	–	शून्य	–	
यात्रा व्यय	5000.00	शून्य	–	5000.00	5000.00	
कुल योग –	**32,97,646.00**	**32,87461.00**	–	**10,185.00**		

शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस वर्ष–2011–12

शीर्ष 2055 गग्रमीण पुलिस	प्राप्त आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	प्रत्यार्पित राशि / पत्रांक दिनांक (प्रत्यार्पण योग्य राशि)	अभ्युक्ति
वेतन+जीवन यापन भत्ता	58,94,140.00	58,90,213.00	–	3,927.00	3,927.00	प्रत्यार्पण के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

परिशिष्ट– "ग" कंडिका "3 (2) से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय सदर गया।

रिटर्न I (मॉग एवं संग्रहण विवरणी) 2010–11

क्र0 सं0	मॉग का प्रकार	मॉंग वर्ष 2010–11			संग्रहित राशि वर्ष 2010–11			वसूली हेतु शेष राशि।			अभ्युक्ति
		बकाया मॉग	वर्त्तमान मॉग	कुल मॉग	बकाया जमा	वर्तमान राशि	कुल जमा	बकाया मॉग	वर्त्तमान मॉग	कुल मॉग	
1.	लगान	3,23,560. 90	2,37,639. 65	5,61,200. 55	1,84,712. 85	121427. 10	306139. 95	1,38,848. 05	116212. 55	255060. 60	
2.	रोड सेस	1,22,999.80	7,00,75. 80	1,93,075. 60	5,70,21. 05	40004.55	97025.60	65978.75	30071. 25	96050.00	
3.	शिक्षा से	2,45,509.40	1,40,151. 60	3,85,661. 00	1,12,617. 10	73315.30	1,85,932. 40	1,32,892. 30	66836. 30	1,99,728. 60	
4.	स्वास्थ्य सेस	2,46,742.30	1,40,151. 60	3,86,893. 90	1,12,617. 10	69266.70	181883. 80	134125. 20	70,884. 90	2,05010. 10	
5.	कृषि सेस	1,04,693.55	60842.60	165536. 15	45256.45	26188.40	71444.85	59437.10	34654. 20	94091.30	
6.	योग –	10,43,505. 95	6,48,861. 25	16,92,367. 20	512224. 55	3,30,202. 05	8,42,426. 60	5,31,281.4	3,18,659. 20	8,49,940. 60	50%

7.	सैरात	–	90220.00	90220.00	–	59,097.00	59,097.00	–	31,123.00	31,123.00	
	कुल योग	10,43,505.95	7,39,081.25	17,82,587.20	5,12,224.55	3,89,299.05	9,01,523.60	5,31,281.4	3,49,782.20	8,81,063.60	

परिशिष्ट– "ग" कंडिका "3 (2) से सम्बन्धित

अंचल कार्यालय सदर गया

रिटर्न I (माँग एवं संग्रहण विवरणी) 2010–11

क्र0 सं0	माँग का प्रकार	माँग वर्ष 2010–11			संग्रहित राशि वर्ष 2010–11			वसूली हेतु शेष राशि।			अभ्युक्ति
		बकाया माँग	वर्त्तमान माँग	कुल माँग	बकाया जमा	वर्तमान जमा	कुल जमा	बकाया माँग	वर्त्तमान माँग	कुल माँग	
1	लगान	6,14,480.00	2,42,099.10	8,56,579.10	6,10,462.35	2,38,099.10	8,48,561.45	4017.65	4000.00	8017.65	
2.	रोड सेस	1,86,209.55	71190.35	2,57,399.90	1,86,115.95	70517.20	2,56,633.15	93.60	673.15	766.75	
3.	शिक्षा सेस	3,80,047.20	1,42,381.60	5,22428.80	378675.40	141245.40	519920.80	1371.80	1136.20	2508.00	
4.	स्वास्थ्य सेस	3,85,329.20	1,42,381.60	5,27,710.80	3,85,322.40	1,41,415.40	5,26,737.80	6.80	966.20	973.00	
5.	कृषि सेस	1,68,259.45	61735.60	2,29,995.05	1,64,415.55	59735.60	2,24,151.15	3843.90	2000.00	5843.90	
6.	योग–	1734325.40	6,59,788.25	23,94,113.65	17,24,991.65	6,51012.70	2376004.35	9333.75	8775.55	18109.30	
7.	सूद	2397.00	—	2397.00	2397.00	—	2397.00	—	—	—	

8.	सैरात	—	90220.00	90220.00	—	59343.00	59343.00	—	30877.00	30877.00	
	कुल योग—	17,36,722.40	750008.25	24,86,730.65	1727388.65	710355.70	2437744.35	9333.75	39652.55	48986.30	

परिशिष्ट — 'घ' कंडिका—4 से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय गया (नगर) में वर्ष 10—11 में स्वीकृत बल और कार्यरत बल की विवरणी।

वर्ष — 10—11

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	अधिक कार्यरत बल	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	अंचलाधिकारी	01 (एक)	01 (एक)	शून्य	शून्य	
2.	अंचल निरीक्षक	01 (एक)	00 (शून्य)	शून्य	01 (एक)	
3.	सहायक	06 (छः)	06 (छः)	शून्य	00 (शून्य)	
4.	राजस्व कर्मचारी	09 (नव)	07 (सात)	शून्य	02 (दो)	
5.	अमीन	01 (एक)	00 (शून्य)	शून्य	01 (एक)	
6.	अनुसेवक	04 (चार)	03 (तीन)	शून्य	01 (एक)	
7.	दफादार/चौकीदार	50 (पचास)	41 (इकतातीस)	शून्य	09 (नव)	

परिशिष्ट – 'घ' लगातार कंडिका –4 से सम्बन्धित।

अंचल कार्यालय सदर गया में वर्ष (11–12) में स्वीकृत पद और कार्यरत बल की विवरणी।

वर्ष – 11–12

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	अधिक कार्यरत बल	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1.	अंचलाधिकारी	01 (एक)	01 (एक)	00 (शून्य)	00 (शून्य)	
2.	अंचल निरीक्षक	01 (एक)	00 (शून्य)	00 (शून्य)	01 (एक)	
3.	सहायक	06 (छः)	04 (चार)	00 (शून्य)	02 (दो)	
4.	राजस्व कर्मचारी	09 (नव)	06 (छः)	00 (शून्य)	03 (तीन)	
5.	अमीन	01 (एक)	00 (शून्य)	00 (शून्य)	01 (एक)	
6.	अनुसेवक	04 (चार)	03 (तीन)	00 (शून्य)	01 (एक)	
7.	दफादार / चौकीदार	50 (पचास)	41 (इक्तालीस)	00 (शून्य)	09 (नव)	

परिशिष्ट (ड़) कंडिका –6 से संबंधित।

क्र0 सं0	विपत्र सं0 एवं वर्ष	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	मू0वे0ग्रेड पें सहिता	भुगतित माहों का नाम	20%प्रति भत्ता की दर से मकान भाड़ा मद में भुगतीत राशि	अनुमान्य 10% प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य	अन्तर राशि	भुगतान की लिए।
6(क) 1	36/10–11	श्री शैलेन्द्र कुमार अंचलाधिकारी	17,620.00	अप्रैल 10 से सितम्बर 10 तक कुल 6 माहों के लिये भुगतान के बदले देय चार माहों के लिए भुगतान की राशि	3524.00	1762.00	1762.00	12.8.10
2.	68/10–11	,,	,,		3524.00	1762.00	1762.00	10.11.10
3.	,,	,,	,,		3524.00	1762.00	1762.00	,,
4.	,,	,,	,,		3524.00	1762.00	1762.00	–
					14096.00	**7048.00**	**7048.00**	
6(ख)5	विभिन्न विपत्रों के/11–12	श्री महेन्द्र प्रसाद लाल राजस्व कर्मचारी	17480.00	जुलाई 11 से अक्टूबर 11 तक	@10% 1784.00	1748.00	36.00	अभियुक्ती मकान भत्ता 1 जून से ही भूगतान किया गया था।।

36 रू0 प्रतिमाह की दर से कुल चार माहों के लिये 36.00x4 =144.00 अधिक भुगतान की राशि।

6(ग)	„/11–12	श्रीमती आभा देवी अनुसेवी	9750.00	मार्च 11 एवं अप्रैल 11 कुल दो माहों का	@10% 978.00	975.00	3.00 प्रतिमा

3.00 रू0 प्रतिमाह की दर से कुल दो माहों का 3.00 X2=6.00 अधिक भुगतान।

कुल रू0 7048+रू0 36.00+रू0 6.00 =कुल रू0 7198.00

परशिष्ट – 'छ' कंडिका सं0–9 से सम्बन्धित।

क्र0	विपत्र सं0 एवं वर्ष	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	माह का नाम	मू0वे0	भुगतित मं0भ @35%	भुगतान योग्य 35%राशि	अन्तर राशि	भुगतान तिथि
1.	13/10–11	श्री शंभु कुमार चौकीदार	मार्च 10	6830/–	2791.00	2391.00	400.00	7.6.2010
2.	14/„ „	तदैव	अप्रैल–10	तदैव	2791.00	2391.00	400.00	„
3.	तदैव „ „	लीला देवी चौकीदार	मार्च–10	6830/–	2791.00	2391.00	400.00	„
4.	„ – „ „	तदैव	अप्रैल–10	तदैव	2791.00	2391.00	400.00	„
5.	41/10–11	श्री हेमन्त कुमार उ0व0 लिपिक	जनवरी 10 से मार्च 10 तक	16470/–	1368x3 @8%=410	1318x3=3954	50 X3=150	20.01. 2011
					15268.00	13518.00	1750.00	

परिशिष्ट – 'ज' कंडिका – 11 से सम्बन्धित।

3 ए0 रोकड़ पुस्त में लगान मद की कम प्रविष्ट राशि की विवरणी वर्ष – 10–11

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	हल्का सं0	पुर्द मिल्कियत रसीद सं0 एवं तिथि	रैयत का नाम	रैयत से वसूली राशि	वसूली राशि से कम 3 ए0 पंजी में प्रविष्ट राशि	अन्तर राशि
1.	10–11	1	27.35.25 दि0 अ	श्री मुशी प्रसाद पिता स्व0 विनोद यादव	224.40	124.40	100.00
2.	,, ,,	8	399960 4.1.11	अम्बिका सिंह पिता मुंगेश्वर सिंह नगर दुषवल।	70.50	7.50	63.00
					294.90	**131.90**	**163.00**

वर्ष – 11–12 में लगान मद की कम प्रविष्ट राशि की विवरणी।

1.	11–12	5	230075 08.2.12	रघुनन्दन यादव पिता छेदी यादव ग्राम चूरी	794.20	749.20	45.00
2.	,, ,,	तदैव	231614 18.3.12	श्रीमति सुहगिया देवी पति रामदेव यादव	351.60	35.60	316.00
3.	,, ,,	6	23.10.35 25.2.12	सुनिल प्रसाद पिता कामेश्वर प्रसाद।	12.25	2.25	10.00

4.	,, ,,	तदैव	881928 17.1.12	श्री शिवनारायण दास पिता श्री विवरी साव	78.00	75.00	3.00
5.	,, ,,	8	273747 02.06.11	श्री अमृत राज पिता जेम्स सामुमल	23.60	21.60	2.00
6.	,, ,,	तदैव	233749 02.06.11	तदैव	6.90	5.90	1.00
					1266.55	889.55	377.00

वित्तीय वर्ष 10–11 में वसूली से कम जमा राशि – 163.00

,, ,, 11–12 में ,, ,, ,, ,, – 377.00

कुल दोनों वित्तीय वर्षो में कम जमा – 540.00

परिशिष्ट – 'झ' कंडिका – 25 से सम्बन्धित।

अमीन शुल्क राशि रू0 63045.00 कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

(क) अमानत (नापी) शुल्क में रूप में नाजीर रसीद से वित्तीय वर्ष 10–11 में प्राप्त राशि 23350.00 की विवरणी।

क्र0	नजीर रसीद सं0 एवं दिनांक	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	176922 5.4.10	467.00	
2.	176923 6.4.10	467.00	
3	176924 6.4.10	467.00	
4.	176925 **8.4.10**	467.00	
5.	176927 16.4.10	467.00	
6.	176939 5.5.10	467.00	
7.	176940 5.5.10	467.00	
8.	176941 5.5.10	467.00	

9.	176942 5.5.10	467.00	
10.	176943 10.5.10	467.00	
11.	176946 10.5.10	467.00	
12.	176948 11.5.10	467.00	
13.	176951 13.5.10	467.00	
14.	176952 13.5.10	467.00	
15.	176953 15.5.10	467.00	
16.	176954 15.5.10	467.00	
17.	176955 19.5.10	467.00	
18.	176956 19.5.10	467.00	
19.	176957 27.5.10	467.00	

20.	176958 27.5.10	467.00	
21.	176659 27.5.10	467.00	

9807.00

22.	176961 27.5.10	467.00	
23.	176964 14.6.10	467.00	
24.	176969 1.7.10	467.00	
25.	176970 1.7.10	467.00	
26.	176971 11.7.10	467.00	
27.	176974 23.7.10	467.00	
28.	176980 3.8.10	467.00	
29.	176981 3.8.10	467.00	
30.	176983	467.00	

	12.8.10		
31.	136984 13.8.10	467.00	
32.	136985 13.8.10	467.00	
33.	136989 3.11.10	467.00	
34.	136990 3.12.10	467.00	
35.	136993 18.12.10	467.00	
36.	177005 10.1.11	467.00	
37.	177006 13.1.11	467.00	
38.	137008 18.1.11	467.00	
39.	137011 22.1.11	467.00	
40.	137011 22.1.11	467.00	
41.	137012	467.00	

	24.1.11		
42.	137013 24.1.11	467.00	
43.	137014 24.1.11	467.00	
44.	137015 27.1.11	467.00	
45.	137016 27.1.11	467.00	
46.	137017 29.1.11	467.00	
47.	137018 31.1.11	467.00	
48.	137019 31.1.11	467.00	
49.	137026 3.2.11	467.00	
50.	137027 3.2.11	467.00	

13543.00
9807.00
23350.00
23350.00

(ख) अमानत (नापी) शुल्क के रूप में नाजीर रसीद से वित्तीय वर्ष –11–12 में प्राप्त राशि 39695.00 की विवरणी।

क्र0	नाजीर रसीद सं0 एवं दिनांक	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	544014 2.4.11	467.00	
2.	544015 5.4.11	647.00	
3.	544016 5.4.11	467.00	
4.	544017 5.4.11	467.00	
5.	544020 7.4.11	467.00	
6.	544026 7.4.11	467.00	
7.	544027 7.4.11	467.00	
8.	544028 4.5.11	467.00	
9.	544029 4.5.11	467.00	
10.	544030 4.5.11	467.00	
11.	544031 4.5.11	467.00	
12.	544036 6.6.11	467.00	
13.	544038 6.6.11	467.00	

14.	544039 10.6.11	467.00	
15.	544040 10.6.11	467.00	
16.	544041 10.6.11	467.00	
17.	544042 10.6.11	467.00	
18.	544043 10.6.11	467.00	
19.	544044 20.6.11	467.00	
20.	544045 20.6.11	467.00	
21.	544046 24.6.11	467.00	
22.	544047 24.6.11	467.00	
23.	544050 1.7.11	467.00	
24.	544051 1.7.11	467.00	
25.	544052 2.7.11	467.00	

11675.00

26.	544053 5.7.11	467.00	
27.	544054 5.7.11	467.00	

28.	544056 5.7.11	467.00	
29.	544057 11.7.11	467.00	
30.	544060 11.7.11	467.00	
31.	544064 11.7.11	467.00	
32.	544068 11.7.11	467.00	
33.	544069 11.7.11	467.00	
34.	544070 11.7.11	467.00	
35.	544071 19.7.11	467.00	
36.	544073 19.7.11	467.00	
37.	544074 21.7.11	467.00	
38.	544075 27.7.11	467.00	
39.	544082 28.7.11	467.00	
40.	544088 6.8.11	467.00	
41.	544096 17.8.11	467.00	
42.	544098 20.8.11	467.00	

43.	544111 13.9.11	467.00	
44.	544114 16.9.11	467.00	
45	544117 16.9.11	467.00	
46.	544123 22.9.11	467.00	
47.	544124 22.9.11	467.00	
48.	544129 10.10.11	467.00	
49.	544137 10.10.11	467.00	
50.	544136 14.10.11	467.00	
51.	544137 14.10.11	467.00	
52.	544146 3.11.11	467.00	
53.	544153 12.11.11	467.00	
54.	544154 12.11.11	467.00	
55.	544156 12.11.11	467.00	
		25685.00	

56.	544157 17.11.11	467.00	
57.	544160 24.11.11	467.00	
58.	544161 28.11.11	467.00	
59.	544166 1.12.11	467.00	
60.	544167 1.12.11	467.00	
61.	544169 1.12.11	467.00	
62.	544170 8.12.11	467.00	
63	544171 8.12.11	467.00	
64.	544172 10.12.11	467.00	
65.	544191 4.1.12	467.00	
66.	544193 4.1.12	467.00	
67.	544202 10.1.12	467.00	
68.	544204 13.1.12	467.00	
69.	544205 14.1.12	467.00	
70.	544206 14.1.12	467.00	

71.	544211 17.1.12	467.00	
72.	544212 17.1.12	467.00	
73.	544216 17.1.12	467.00	
74.	544217 24.1.12	467.00	
75.	544222 1.2.12	467.00	
76.	544233 8.2.12	467.00	
77.	544234 8.2.12	467.00	
78.	544235 10.2.12	467.00	
79.	544238 10.2.12	467.00	
80.	544241 16.2.12	467.00	
81.	544242 16.2.12	467.00	
82.	544248 1.3.12	467.00	
83.	088961 12.3.12	467.00	
84.	088965 19.3.12	467.00	
85.	088967 23.3.12	467.00	
		39695.00	

(क) का योग – 23,350.00

(ख) का योग – 39695.00

कुल रूपयें – 63045.00

<u>परिशिष्ट– "ट" कंडिका सं0–28 से सम्बन्धित।</u>

क्र0	वित्तीय वर्ष	शीर्ष	विपत्र सं0 एवं वर्ष	टी0भी0न0 एवं दिनांक	कोषागार से निकासी की गई राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम
1.	10–11	2029	78 / 10–11	1 / 25.2.11	42,373.00	अंचलाधिकारी सदर गया।
2.	"	"	79 / " "	70 / 25.2.11	3144.00	"
3.	"	2055	102 / " "	871 / 31.3.11	3,31,786.00	"
4.	"	"	99 / " "	872 / 31.3.11	2,75,598.00	"
5.	"	2071	80 / " "	427 / 12.3.11	56460.00	"
6.	11–12	2029	17 / " "	54 / 20.7.11	83,858.00	"
7.	"	"	46 / " "	17 / 2.10.11	70126.00	"
8.	"	"	74 / " "	14 / 6.2.12	1,29,091.00	"
9.	"	"	75 / " "	15 / 6.2.12	16,227.00	"
10.	"	8011	7 / 11–12	73 / 30.5.11	39010.00	"
11.	"	"	19 / " "	38 / 20.7.11	2115.00	"
12.	"	"	54 / " "	04 / 2.10.11	23724.00	"
13.	"	2071	18 / 11–12	698 / 20.7.11	83,981.00	"
14.	"	"	55 / " "	1011 / 26.9.11	1,14,350.00	"
15.	"	"	56 / " "	1015 / 26.9.11	1,10,570.00	"
16.	"	"	47 / " "	06 / 2.10.11	2,06,186.00	"

17.	,,	,,	70 / ,, ,,	504 / 20.2.12	1,20,500.00	,,
18.	,,	,,	71 / ,, ,,	503 / 20.2.12	1,10,570.00	,,
19.	,,	8009	9 / 11–12	161 / 30.5.11	58048.00	,,
20.	,,	,,	14 / ,, ,,	163 / 30.5.11	2,25,749.00	,,
21.	,,	,,	38 / ,, ,,	123 / 30.8.11	80746.00	,,
22.	,,	,,	37 / ,, ,,	124 / 30.8.11	77266.00	,,
23.	,,	,,	73 / ,, ,,	70 / 20.2.12	213752.00	,,
					22,82,853.00	